समाचार–प्रकाशनार्थ :–

## ज्वलनशील पदार्थो के 6 गोडाउन मालिकों ने अपने गोडाउन स्वंय हटाये
## कचरा एवं गंदगी करने पर 2 गोडाउन मालिकों पर किया जुर्माना
### ज्वलनशील पदार्थ व कबाड़ के व्यापारी शहर से अपने गोडाउन तत्काल हटा लें

रतलाम 29 अक्टूबर । रतलाम शहर में मोहन नगर व लक्कड़पीठा क्षेत्र जैसी आगजनी की घटना भविष्य में ना हो इस हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा नगर में कबाड़ सेन्टर, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, लकड़ी, तेल, आयल, डीजल, गैस सिलेण्डर एवं अन्य खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन व दुकानें हटाये जाने हेतु दिये गये नोटिस के बाद भी गोदाम नहीं हटाने पर गोदाम हटाने की कार्यवाही कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार की जा रही है जिसके तहत निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया व एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत जावरा रोड पहलवान बाबा की दरगाह पर 2, नाहरपुरा में 1 श्रीमालीवास में 1 व मौमिनपुरा में 2 ज्वलनशील गोडाउन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर निगम द्वारा दिये गये नोटिस के तहत गोडाउन मालिकों द्वारा अपने गोडाउन स्वंय हटा लिये।

नाहर पुरा क्षेत्र में गोडाउन मालिक प्रभुलाल–पन्नालाल द्वारा कचरा एवं गंदगी करने पर 10,000/– व जावरा रोड पहलवान बाबा की दरहगाह के सामने गोडाउन मालिक खुर्शीद अनवर मंसूरी–एहमद नूर मंसूरी द्वारा कचरा एवं गंदगी किये जाने पर 5000 का जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि वर्तमान समय में कलेक्टर महोदय द्वारा ज्वलनशील पदार्थो के भण्डारण पर धारा 144 लागू की गई है। नगर निगम के द्वारा 6 माह पूर्व ज्वलनशील पदार्थो का भण्डारण करने वाले व्यापारियों को अपने गोडाउन शहर से हटाने का नोटिस जारी किये गये थे। ऐसे व्यापारी जिन्होने नोटिस जारी होने के बाद भी ज्वलनशील पदार्थ कबाड़ सेन्टर, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, लकड़ी, तेल, आयल, डीजल, गैस सिलेण्डर एवं अन्य मानव जीवन के लिये हानिकारक खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन नहीं हटायं हैं वे शहर से तत्काल अपने गोडाउन हटा लें अन्यथा नगर निगम एक्ट के तहत चलाये जा रहे अभियान के तहत हटाया जाकर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

### अमृत सागर से जलकुंभी निकालने के कार्य का निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा निरीक्षण

रतलाम 29 अक्टूबर । अमृत सागर तालाब के संरक्षण व संवर्धन, उन्नयन एवं समेकित प्रबंधन परियोजना के प्रथम चरण में तालाब से जलकुंभी निकालने हेतु क्रय की गई एक्वेटिक विड हार्वेस्टर मशीन द्वारा किये जा रहे कार्य का निरीक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने तालाब से जलकुंभी निकालने के कार्य की एक्वेटिक विड हार्वेस्टर मशीन द्वारा किये जा रहे कार्य का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होने निर्देशित किया कि निकाली गई जलकुंभी जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर ले जाने के बजाय सड़क के उस पर शासकीय भूमि पर फेसिंग किया जाकर वहां डाला जाकर वेस्ट टू कम्पोस्ट का कार्य किया जाये जिससे अनावश्यक मेहनत व आर्थिक बचत होगी साथ ही जलकुंभी निकालने के कार्य में गति आयेगी।

## त्रिवेणी मेला परिसर का निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा निरीक्षण
### निजी भूमि पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को मेला क्षेत्र में दुकान लगाने के दिये निर्देश

त्रिवेणी के पावन तट पर नगर निगम द्वारा आयोजित किये जा रहे 11 दिवसीय त्रिवेणी मेले की व्यवस्थाओं का जायजा निगम आयुक्त श्री झारिया ने उपायुक्त एवं मेलाधिकारी श्री विकास सोलंकी के साथ किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने मेला परिसर क्षेत्र के समीप संत नगर में निजी भूमि पर लगी दुकानों का निरीक्षण कर दुकानदारों का निर्देशित किया कि मेला शासकीय है इसलिये वे अपनी दुकाने निजी भूमि पर ना लगाते हुए मेला परिसर में अपनी दुकानें लगायें दुकाने लगाये जाने हेतु स्थल की कोई कमी नही है।

त्रिवेणी मेले के निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने मेले में 31 दिसम्बर से 3 जनवरी तक आयोजित किये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था मंच, टेन्ट, बैठक व्यवस्था, प्रकाश, विद्युत सज्जा आदि व्यवस्थाऐं समय–सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये।

इसके अलावा उन्होने कहा कि यह मेला कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार जीरो वेस्ट की थीम पर आयोजित है इसलिये मेले में किसी प्रकार का कचरा एवं गंदगी ना दिखाई दें। दुकानदार व मेले में आने वाले नागरिक पॉलीथीन व डिस्पोजल का उपयोग ना करें इसकी सुनिश्चित्ता की जाये। उन्होने मेले में सफाई, प्रकाश, पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाऐं नियमित रूप से करवाये जाने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, ब्रजेश कुशवाह, मनीष तिवारी, केमिस्ट श्री नीरज शुक्ला, पूर्व क्षेत्रिय पार्षद प्रतिनिधि श्री राकेश मीणा आदि उपस्थित थे।

# *रतलाम शहर होगा सिगरेट बड्स के कचरे मुक्त*

## *32 पान व सिगरेट की दुकानों पर लगाये सिगरेट बड्स बीन*

रतलाम 29 अक्टूबर । रतलाम शहर को सिगरेट बड्स के कचरे से मुक्त किये जाने हेतु रिलाईव ईको फाउन्डेशन व कामधेनु इण्डस्ट्रीज के सहयोग नगर के 32 पान व सिगरेट की दुकानों पर सिगरेट बड्स बीन लगाये गये।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि रिलाईव ईको फाउन्डेशन व कामधेनु इण्डस्ट्रीज द्वारा एक कदम स्वच्छता की ओर के नारे को सार्थक करते हुए रतलाम नगर के पर्यावरण सुधार हेतु एक अनूठी पहल की है। धूम्रपान करने वाले लोग सिगरेट के बचे हुए हिस्से को सिगरेट बड्स बीन में डालेंगे तो इसका कचरा यहां–वहां नहीं फैलेगा व पर्यावरण दूषित नहीं होगा। बीन पर फाउण्डेशन का मोबाईल नम्बर दिया गया है दुकानदार बीन भरने की सूचना इस मोबाईल नम्बर पर देने पर फाउण्डेशन की टीम द्वारा बीन को खाली किया जाकर बड्स को रिसाईकल हेतु भेजा जायेगा।

फाउण्डेशन के श्री दर्शन अरोड़ा ने बताया की वर्तमान में 32 दुकानों पर बीन लगाये गये है इसकी सफलता को देखते हुए शहर की सभी पान व सिगरेट की दुकानों पर बीन लगाये जायेंगे।

नगर निगम द्वारा नगर के ऐसे नागरिक जो धूम्रपान करते है उनसे अपील की जाती है कि वे धूम्रपान करने के बाद पान व सिगरेट की दुकानों पर लगाये गये सिगरेट बड्स बीन में ही सिगरेट के बचे हुए हिस्से (बड्स) को डालें।

## *रात्रिकालिन सफाई के 7 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा*

रतलाम 29 अक्टूबर । शहर के व्यावसायिक क्षेत्र स्टेशन रोड, दो बत्ती, लोकेन्द्र भवन रोड, पावर हाउस रोड, कोर्ट तिराहा आदि क्षेत्रों के रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम

आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा निरीक्षण किये जाने पर 7 कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

28 दिसम्बर मंगलवार को रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान दौलत–राजू, प्रशांत ओसान, धनराज–बसंत, नरेन्द्र–विजय, आकाश–मुकेश, शेखर–सोहन व अजय–बसंत द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया।

## *अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर*

### *नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली शिविरो का आयोजन*

*नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 12.9 लाख व जलकर 2.94 लाख की बकाया राशि जमा कराई*

रतलाम 29 दिसम्बर । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3,28,822/– व जलकर 54,850/–, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,62,575/– व जलकर 34,520/–, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3,02,013/– व जलकर 63,450/–, विनोबा नगर पानी की टंकी के पास आयोजित शिविर में संपत्तिकर 1,85,292/– व जलकर 1,19,720/–, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर आयोजित शिविर में संपत्तिकर 1,35,334/– व जलकर 24,000/– की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5, 6 व 7 के लिये 29 से 30 दिसम्बर तक अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल, वार्ड क्रमांक 9 के लिये 31 दिसम्बर को तिरूपति नगर, वार्ड क्रमांक 8 के लिये 1 जनवरी को कोमल नगर मेन रोड, वार्ड क्रमांक 5, 7 व 9 के लिये 3 से 4 जनवरी को मार्निग स्टार स्कूल, वार्ड क्रमांक 12 के लिये 5 से 7 जनवरी तक कस्तुरबा नगर सारस्वतजी के मकान के सामने, वार्ड क्रमांक 12 के लिये 8 जनवरी को प्रियदर्शनी नगर, वार्ड क्रमांक 11 के लिये 10 से 11 जनवरी तक को डोंगरे नगर, वार्ड क्रमांक 46, 47 व 48 के लिये 12 जनवरी को हाट रोड माताजी का मंदिर, वार्ड क्रमांक 11 के लिये 13 जनवरी को कलीमी कालोनी, वार्ड क्रमांक 18 के लिये 14 जनवरी को राजेन्द्र नगर, वार्ड क्रमांक 14, 15, 46 व 48 के लिये 15 व 17 जनवरी को डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर, वार्ड क्रमांक 46 व 48 के लिये 18 जनवरी को वेदव्यास कालोनी, वार्ड क्रमांक 22 के लिये 19 जनवरी को कल्याण नगर, वार्ड क्रमांक 18, 19 व 20 के लिये 20 से 21 जनवरी तक दीनदयाल नगर, वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 22, 24 व 25 जनवरी को बोहरा बाखल, वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 27 जनवरी को रामगढ़, वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 28, 29 व 31 जनवरी को लक्कड़पीठा प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 से 3 फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25, 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

**निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।**

# *नगर के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाये*

रतलाम 29 दिसम्बर। सर्द रातों मं नागरिकां की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, पांजरा पोल, महू रोड बस स्टैण्ड, बाजना बस स्टैण्ड, सैलाना बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मुखर्जी नगर, कालिका माता, नगर निगम, फायर ब्रिगेड, चांदनी चौक, गौशाला रोड पेयजल टंकी, ऋतुराज सम्पवेल सहित नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

# *29 नवम्बर 72 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा*

रतलाम 29 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 29 दिसम्बर बुधवार को 72 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

29 दिसम्बर बुधवार को डम्पर से 25455, ट्रेक्टर से 19745, काम्पेक्टर सूखा कचरा 18210 व काम्पेक्टर गीला कचरा 9000 किलो इस तरह कुल 72410 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

# 6585 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

## *पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें*

रतलाम 29 दिसम्बर । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 29 दिसम्बर बुधवार तक 6585 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 65.85 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे नगर निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

# *खुले में गंदगी करने पर 5 व्यक्तियों पर जुर्माना*
# *मास्क नहीं लगाने पर 20 व्यक्तियों पर जुर्माना*
# *नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें*

## ***गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें***

रतलाम 29 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा

डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 29 दिसम्बर को 5 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर भगवानलाल जीपीओ रोड पर 1000, महेश, अजय जीपीओ रोड पर 100–100, राकेश, दिलीप जीपीओ रोड पर 50–50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 20 व्यक्तियों पर 100–100 रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईश दी गई।

**नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ–स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।**

## *2663 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 91 हितग्राही हुए लाभान्वित*

### *पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें*

रतलाम 29 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2513 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/– तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत, 150 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 88 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

# *अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही*

## *15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल*

रतलाम 29 दिसम्बर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार

गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

## *नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें*

रतलाम 29 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

### *गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर  कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही*

रतलाम 29 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

### *वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही*

रतलाम 29 दिसम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 29.12.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.